न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 03/2024

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री जितेन्द्रसिंह देवडा पुत्र श्री दानसिंह जाति राजपूत निवासी राडबर चूली, शिवगंज हाल प्रो. अजय गैस सर्विस सेन्टर शिवगंज।
2. श्री उम्मेदाराम पुत्र श्री वरदाराम निवासी जखा नगर सुमेरपुर जिला पाली वाहन चालक वाहन संख्या आरजे 19 यूए 7612

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 14.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.08.2024 को श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं सुश्री सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर अजय गैस सर्विस सेन्टर शिवगंज की जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर से इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाव प्रस्तुत किया गया एवं अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा प्रकरण दिनांक 04.10.2024 को उपस्थिति दी जाकर जबाव प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया, इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या दो द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही की बहस सुनी गई एवं अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 22.08.2024 को श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं सुश्री सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर अजय गैस सर्विस सेन्टर शिवगंज की जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर इलेक्ट्रिक मशीन मय रिफलिंग पाईप के साथ जुडा हुआ पाया गया,

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जिसके द्वारा वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेंशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाव प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या एक का जबाव देने का अवसर बन्द किया गया।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जबाव में निवेदन किया गया कि दिनांक 22.08.2024 को उसकी पत्नि बीमार होने से उसे हॉस्पीटल लेकर जा रहा था एवं जल्दबाजी में उसके द्वारा वाहन संख्या आरजे 19 यूए 7612 में गैस व पेट्रोल भराने पर कोई ध्यान नहीं दिया और अचानक से गाडी में शिवगंज पहुंचते ही गैस खत्म हो जाने से आस–पास लोगों से गाडी में गैस भराने के सम्बन्ध में पूछा तो लोगों ने अप्रार्थी संख्या एक के बारे में बताया। तब में वह अप्रार्थी संख्या एक के पास गैस भराने गया, परन्तु उसी समय प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त कार्यवाही की गई, जिसमें मुझे भी पक्षकार बनाया गया है, जबकि मेरा उक्त कार्य से एवं अप्रार्थी संख्या एक से कोई लेना–देना नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई मेरे विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप करना फरमावें।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस एवं अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के परिसर अजय गैस सर्विस सेन्टर, शिवगंज की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाहनों में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना अन्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थीगण कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। इस सम्बन्ध में मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर, जो इलेक्ट्रिक मशीन मय रिफलिंग पाईप के साथ जुडा हुआ पाया गया, जिसके द्वारा वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर ... पेश किए जाते है परन्तु अजय गैस सर्विस सेन्टर, शिवगंज जिला सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण इलेक्ट्रिक मशीन मय रिफलिंग पाईप के द्वारा वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो द्वारा भी अपने जबाव में यह अंकित किया गया है कि उसके द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या एक से गैस रिफिल करवाई जा रही थी एवं उक्त गैस सिलेण्डर से अप्रार्थी संख्या दो का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये एक गैस सिलेण्डर मय इलेक्ट्रिक मशीन व रिफलिंग पाईप को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक गैस सिलेण्डर मय इलेक्ट्रिक मशीन व रिफलिंग पाईप को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए एक गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner